IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"ग्रामीण स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन"

शोध निर्देशक

डॉ0 धीरेन्द्र यादव,
सहायक आचार्य
शिक्षा संस्थान बुन्देलखण्ड विश्वविदयालय, झॉसी

शोधार्थी

मंगल सिंह,
पी0एच.0डी,
शिक्षा संस्थान बु0वि0 झॉसी

साराश :– वर्तमान परिदृश्य मे सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति जानने के लिए उत्साहित रहता है यह शोधे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की आरक्षण नीति के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में जिला जालौन के महाविद्यालयों के सामान्य वर्ग और पिछडे वर्ग ,अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण विद्यार्थियों को शामिल किया गया परिणामों से स्पष्ट होता है कि पिछडा वर्ग और अनुंसूचित वर्ग तथा सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को अलग–अलग दृष्टिकोंण है, वही पिछडे वर्ग ,अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण विद्यार्थियों सामजिक न्याय और समान अवसर का साधन मानते है। परन्तु सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में आरक्षण के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला।

कीवर्ड: ग्रामीण, स्नातक स्तर ,आरक्षण, अभिवृत्ति ,

परिचय

भारतीय समाज में सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक असमानतायें बहुत प्राचीन समय से विद्यमान रही है। इन्हें दूर करने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण प्रकिया, नीति को लागू किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नीति का विशेष महत्व है। क्योंकि यह पिछडे वर्गों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है भारत में आरक्षण शब्द ज्यादा पुराना नहीं है। इसका प्रारम्भं हण्टर आयोग 1882 कें समय से प्रारम्भ माना जाता हैं। महात्मा ज्योतिवा फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की और सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी तथा 1909 में मार्लो मिन्टो अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के रूप में आरक्षण नीति लागू की । सन् 1932 में महात्मा गॉधी जी और डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट में विशेष वर्गों को प्रांतीय सभाओं मे कुछ स्थान सुरक्षित किये। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा (एस0सी0))को 15 प्रतिशत और (एस0.टी0) को 7.5 प्रतिशत , (ओ0बी0सी0), को 27 प्रतिशत अर्थात कुल 49.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही 81 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव लाया गया और 103वॉ संविधान संशोधन द्वारा (ई0डब्ल्यू0एस0) को 10 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के गरीब श्रेणी के विद्यार्थियो आरक्षण है। तथा ग्रामीण क्षेत्रो के विद्यार्थियों जिनकी शिक्षा व्यवस्था पहले से सीमित संसाधनों से जूझ रही है। इस अध्ययन का उददेश्य यह जानना है कि जिला जालौन के ग्रामीण स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का आरक्षण नीति को किस दृष्टि से देखते है।

आरक्षण की आवश्यकाता एवं महत्व

प्रस्तुत शोध पत्र अनूसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग और अन्य आरक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और उनकी समस्याओं से संबंधित है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आरक्षण नीति को सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। अधिकांश शोध कार्य शहरी विद्यार्थियों पर केंद्रित होते है। यह भविष्य में शैक्षिक नीतियों और विभिन्न योजनो के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथ सामान्य वर्ग तथा पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के सोंच में पहचान करने में सहायता मिल सकती है। स्नातक स्तर के विद्यार्थी भविष्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे– शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उनकी सोंच, दृष्टिकोण, को समझना आवश्यक है। सामाजिक सदभाव और समरसता के लिए यदि सामन्य वर्ग का पिछडा वर्ग या अनुसूचित जाति वर्ग की सोंच में बहुत अंतर है तो यह समाज में तनावच का कारण बन सकता है। यह शोध पत्र इस अन्तर को समझने और कम तनाव करने के उपाय सुझाने में सहायक होग ।

1. **शोध अध्ययन से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण**

1. गौतम वी.2005 (शीर्षक) आरक्षण नीति और उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय के अध्ययन में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और पिछडा वर्ग के ग्रामीण विद्यार्थियों ने आरक्षण को अवसर और प्रगति का साधन माना जबकि सामान्य वर्ग में असंतोष की भावना पायी गयी।
2. चौधरी एस (2008) (शीर्षक)सामाजिक न्याय और आरक्षण का प्रभाव ग्रामीण युवाओं का अध्ययन में बताया गया कि ग्रामीण विद्यार्थियों विशेषकर पिछडा वर्ग ने आरक्षण सामाजिक उन्नति का साधन माना।
3. कुमार0 आर0 (2012) (शीर्षक) सामान्य व पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों की अआरक्षण के प्रति दृष्टि का अध्ययन में बताया गया है कि सामान्य वर्ग आरक्षण की आयोग्यता का संरक्षण मानता है। वहीं पिछडा वर्ग इसे समानर अवसर के रूप में देखते है।
4. पटेल एस0 (2015) शीर्षक reservation policy and students attendents in universities में बताया पिछडा वर्ग तथ अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में आरक्षण का अधिक समर्थन किया । सामान्य वर्ग ने अन्याय पूर्ण माना।
5. मिश्रा डी (2019) (शीर्षक) आरक्षण नीति और वंचित वर्गो का सशक्तीकरण का अध्ययन में बताया कि आरक्षण ने शिक्षा व रोजगार में वंचित वर्गो की भागीदारी को बढाया। ग्रामीण विद्यार्थियों नें इसे आवश्यक एवं लाभकारी माना।
6. national sample servey report (2020)(शीर्षक) participatiuon of backword classes in higher education का निष्कर्ष पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी लगातार बढी। ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण की स्वीकृति अधिक रही।
7. गुप्ता आर (2021) (शीर्षक)) reservation policy perception of general vs OBC students निष्कर्ष की सामान्य वर्ग कों विद्यार्थियों ने आरक्षण को मेरिट के लिए बाधक कहा। पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों ने सामाजिक समानता के लिए आवश्यकताएं बतायीं।

प्रयुक्त शब्दो का परिभाषीकरण

ग्रामीण–ग्रामीण शब्द से आशय उन विद्यार्थियो से है जो गॉवों या कस्बों से संबंधित हैं तथा जिनकी शिक्षा मुख्यतः ग्रामीण महाविद्यालयों मे हो रही हैं।

आरक्षण– आरक्षण से तात्पर्य भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह व्यवस्था हैजिसके अंतर्गत जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग को शिक्षा एवं रोजगार में निश्चित अनुपात में अवसर प्रदान किए जाते हैं।

अभिवृत्ति –अभिवृत्ति से आशय मनुष्य की किसी विषय के प्रति सोच, दृष्टिकोण एवं व्यवहार से होती हैं।

थर्सटन के अनुसार –''अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से सम्बन्धित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा हैं'' ।

स्नातक स्तर–स्नातक स्तर से तात्पर्य उन छात्रों से है जो महाविद्यालयों में बी.ए. ,बी.एस–सी. बी.कॉम आदि कोर्स में पढाई कर रहे छात्रों से हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1.ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. ग्रामीण स्नातक स्तर के पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3.ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

1.ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. ग्रामीण स्नातक स्तर के पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

3. ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन की परिसीमायें

2. प्रस्तुत शोध कार्य उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड विश्वविदयालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों तक सीमित किया जायेगा।
3. प्रस्तुत शोध कार्य जिला जालौन के 04 महाविद्यालयों तक सीमित किया जायेगा जो निम्न है।
   (1) गंगाराम बंशीधर महाविद्यालय कुठौंद जालौन।
   (2) पं.गंगाधर पाण्डेय श्रवण महाविद्यालय कुठौंद जालौन।
   (3) केशव देव तिवारी महाविद्यालय गोहन जालौन।
   (4) रज्जन देवी हेमंत कुमारी महाविद्यालय गोहन जालौन।
4. प्रस्तुत शोध कार्य में ग्रामीण स्नातक स्तर के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा।
5. /अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में आरक्षण का अधिक समर्थन किया । सामान्य वर्ग ने अन्याय पूर्ण माना।

प्रयुक्त अनुसंधान विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उपकरण

प्रयुक्त शोध कार्य में दयानन्द वैदिक कालेज उरई (बुन्देलखण्ड विश्वविदयालय से सम्बद्ध) द्वारा प्रकाशित **प्रो0 तारेश भाटिया** (मनोविज्ञान विभाग) द्वारा अभिवृत्ति स्केल मापनी का प्रयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियॉ

शोध समस्या की प्रकृति एंव विषय वस्तु को देखते हुए शोधार्थी द्वारा निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया हैं।

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी–टेस्ट तथा क्रांतिक अनुपात
4. मानक त्रुटि
5. स्वतंत्राश अंश
6. सार्थकता स्तर

प्रतिदर्श आकार

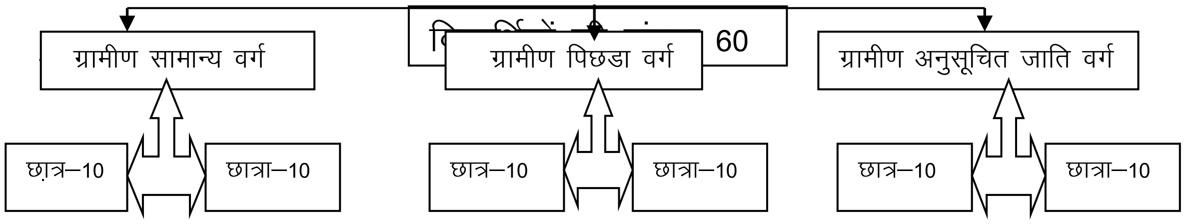

प्रथम परिकल्पना परीक्षण ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं

क्र0सं0	वर्ग	चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी–मान	सार्थकता
1.	सामान्य वर्ग	अभिवृत्ति	20	45.4	4.60	2.21	3.39	0.01 स्तर पर सार्थक
2.	पिछडा वर्ग	अभिवृत्ति	20	52.9	8.50			0.05 स्तर पर सार्थक

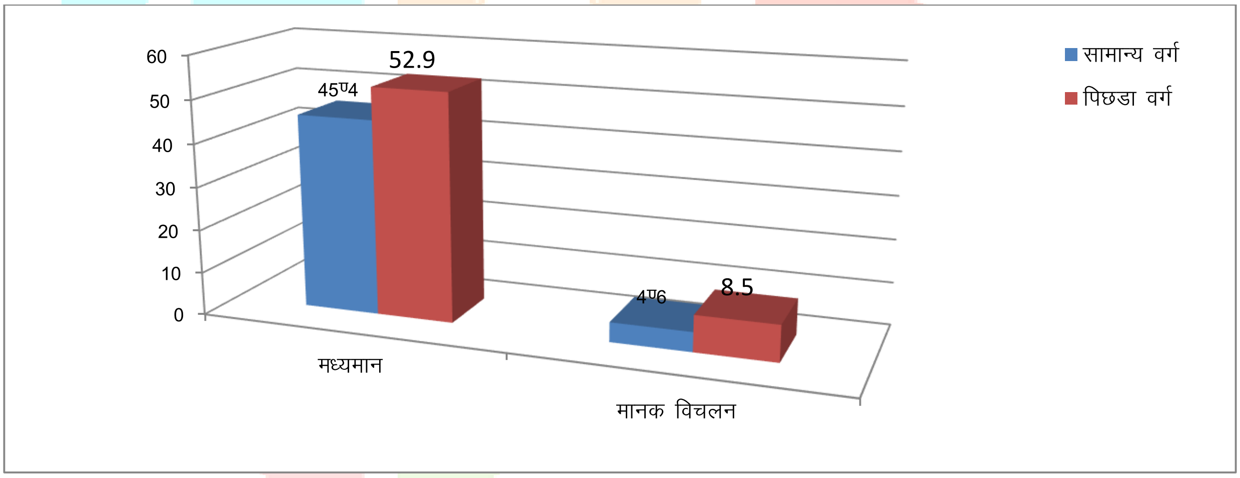

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सामान्य ग्रामीण विद्यार्थियों का मध्यमान 45.4 है तथा पिछडा ग्रामीण वर्ग के विद्यार्थियों का मध्यमान 52.9 है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और ग्रामीण पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के मध्यमानों में ग्रामीण पिछडा वर्ग का मान अधिक है। इससे ज्ञात होता है कि मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता जब t परीक्षण द्वारा ज्ञात की गयी है तो का t मान 3.39 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणी के मान 2.02 से अधिक है। अतः प्राप्त t परीक्षण_का मान 0.05 सार्थकता के स्तर पर सार्थक है।

अतः शून्य परिकल्पना **अस्वीकृत** की जाती है और यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है

द्वितीय परिकल्पना परीक्षण

ग्रामीण स्नातक स्तर के पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

क्र0सं0	वर्ग	चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी–मान	सार्थकता
1.	पिछडा वर्ग	अभिवृत्ति	20	52.9	8.50	2.88	2.46	0.01 स्तर पर सार्थक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग	अभिवृत्ति	20	60	9.29			0.05 स्तर पर असार्थक

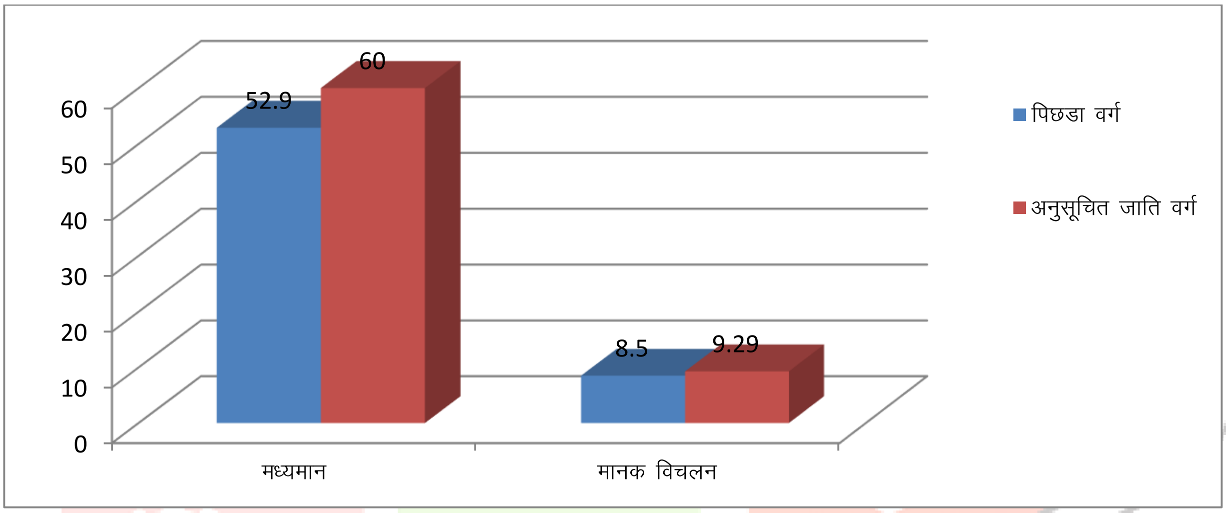

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि ग्रामीण पिछडा वर्ग विद्यार्थियों का मध्यमान 52.9 हैं तथा ग्रामीण अनुसूचित जाति ग्रामीण वर्ग के विद्यार्थियों का मध्यमान 60 है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण पिछडा वर्ग विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के मध्यमानों में ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग का मध्यमान अधिक है। इससे ज्ञात होता है कि मध्यमानों के अतर की सार्थकता जब t परीक्षण द्वारा ज्ञात की गयी है___तो t का मान का 2.46 प्राप्त हुआ हैं। t का मान 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक हैं। 0.01 सार्थकता स्तर पर सारणी के मान 2.71 से कम है।_अतः प्राप्तांक t का मान 0.01 स्तर पर असार्थक है।

अतः शून्य परिकल्पना **अस्वीकृत** की जाती है और यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रामीण स्नातक स्तर के पिछडा वर्ग के एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में अलग–अलग सार्थकता है।

तृतीय परिकल्पना परीक्षण

ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

क्र0सं0	वर्ग	चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	मान	सार्थकता
1.	सामान्य वर्ग	अभिवृत्ति	20	45.4	4.60	2.37	6.13	0.01 स्तर पर सार्थक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग	अभिवृत्ति	20	60	9.29			0.05 स्तर सार्थक

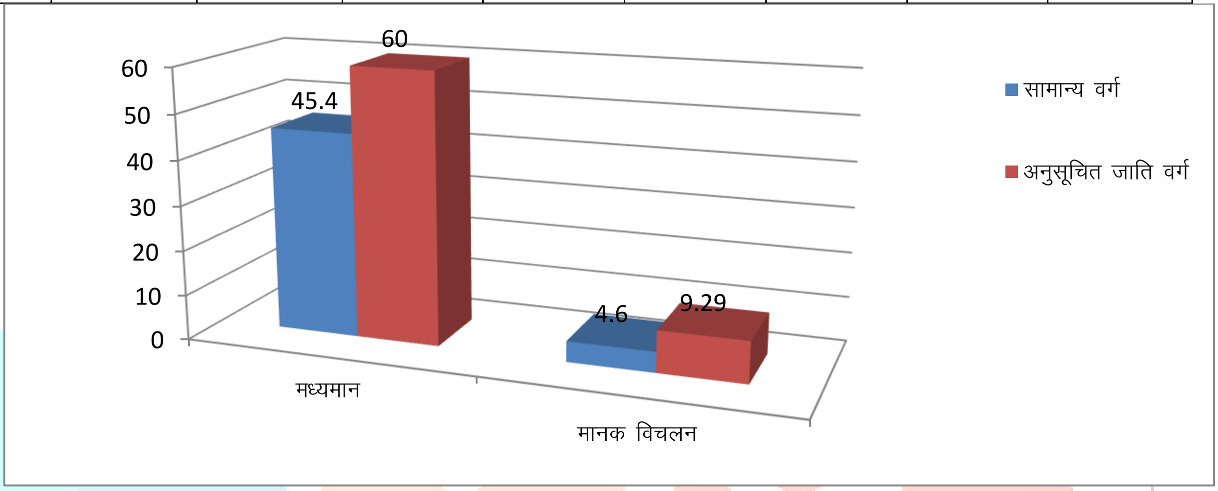

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि ग्रामीण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का मध्यमान 45.4 है तथा ग्रामीण अनुसुचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का मध्यमान 60 है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और ग्रामीण अनुसुचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के मध्यमानों में ग्रामीण अनुसुचित जाति वर्ग का मध्यमान अधिक है। इससे ज्ञात होता है कि मध्यमान के अतर की सार्थकता जब t परीक्षण द्वारा ज्ञात की गयी है तो t का मान 6.13 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणी मान से अधिक है।_अतः t का मान सार्थकता के स्तर पर सार्थक है।

अतः शून्य परिकल्पना **अस्वीकृत** की जाती है और यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रामीण स्नातक स्तर के सामान्य एवं अनुसुचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

निष्कर्ष

तीनों वर्गो मे अभिवृत्ति में अन्तर स्पष्ट है अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण सबसे अधिक सकारात्मक है।पिछडावर्ग दूसरे स्थान पर आते है सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत नकारात्मक है। सभी की तुलना ((सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति , सामान्य वर्ग एवं पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग सांख्यकीय रूप से सार्थक पायी गयी ।

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों ने आरक्षण से सबसे अधिक लाभ पाया है। इस कारण उनकी अभिवृत्ति सबसे अधिक सकारात्मक है। वहीं पिछडा वर्ग भी आरक्षण से लाभान्वित है। इसलिए उनका दृष्अिकोण सामान्य वर्ग से बेहतर है। वहीं सामान्य वर्ग के विदयार्थयों को आरक्षण से प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता इस कारण उनमें आरक्षण के प्रति नकारात्मक या असंतोषजनक रूख पाया गया।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण नीति ने विशेष रूप से ग्रामीण अनुसूचित जाति और पिछडा वर्ग को शिक्षा एवं अवसरों में सहयोग प्रदान किया है। यही कारण है कि उनकी मानसिकता में आरक्षण

के प्रति सकारात्मक रूझाान पाया गया। इसके विपरीत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में आरक्षण को लेकर असहमति और नकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया है।

आगामी सुझाव

1. अनुसंधान का विस्तारः—यह अध्ययन केवल जालौन जनपद के चार महाविद्यालयों तक सीमित है। भविष्य में अन्य राज्यों या जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता हैं।
2. शहरी और ग्रामीण की तुलनाः— इस अध्ययन को शहरी एवं ग्रामीण स्नातक विद्यार्थियों का आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण का अंतर ज्ञात किया जा सकता हैं।
3. समयबध्द तुलनाः— आरक्षण नीति के प्रति विद्यार्थियों की धारणा समय के साथ कैसे बदलती है, इसका पता करने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन किया जा सकता है।
4. नवीन शैक्षणिक सुधारः— NEP- 2020 के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण नीति के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है,जिससे उच्च शिक्षा में समानता एवं समावेशन को और अच्छा बनाया जा सके।

संदर्भ

1.संविधान सभा की कार्यवाही (1950). भारत का संविधान, अनुच्छेद 15 एवं 16

2.पाण्डेय,डॉ0 रामशकल (2000). उदीयमान भारतीय सामाज में शिक्षक, आगरा—2 विनोद पुस्तक मन्दिर

3.पाण्डे,योगेष (2007). शिक्षाशास्त्र लिमिटेड अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इन्डिया) 4.पाठक, पी0डी0 (2011): शिक्षा मनोविज्ञान आकरा—2, अग्रवाल पब्लिकेशन्स 5.सिंह, विनय कुमार (2013):भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन यूनीक पब्लिकेशन्स नई दिल्ली

6.सिंह, अरूण कुमार (2013): मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियॉ, मोतीलाल बनारसीदास पटना

7.गौतम, रीना (2013):गैर सरकारी व सरकारी स्कूल अध्यापकों के बीच आरक्षण के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षा संकाय वनस्थली विद्या पीठ

8.लाल, रमन बिहारी (2013—14): भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें मेरठ आर0लाल0 बुक डिपों

9.सचान, राजीव (2014):आरक्षण की प्रासंगिकता, दैनिक जागरण कानपुर

10.भटनागर,डॉ0 ए0वी0 (2014): शैक्षिक एवं मानसिक मापन मेरठ, आर0 लाल0 बुक डिपो

11.मेघा (2016): ''विशिष्ट विद्यालयों में आरक्षण के प्रति किशोर—किशोरियों का निरीक्षण का समालोचनरात्मक अध्ययन'' शिक्षा संकाय विश्वविद्यालय आन्ध्र प्रदेश

12.गुप्ता एस0पी0 (2017): उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन

13.जोशी ए. (2019). भारतीय लोकतंत्र और आरक्षण, मुंबईः भारतीय विद्या भवन

14.चौधरी,नीरज (2022).'' सामाजिक न्याय और उच्च शिक्षाःआरक्षण का महत्व'' नई दिल्लीः अकादमिक प्रकाशन

15.वर्मा, रोहित (2022).'' ग्रामीण स्नातक विद्यार्थियों की दृष्टि में आरक्षण'' वाराणसीः शिक्षा भारती

16.स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह (2024). सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप—वर्गीकरण करने का अधिकार दिया गया https://www.scobservr.in/

Websites:
https://www.goole.com
https://prsindia.org
https://education.gov.in
https://mosp.gov.in
https://ugc.ac.in
https://www.indiatoday.in
https://www.openai.com/chatgpt.
https://www.shodhganga.inflibnet.ac.in
https://www.shodhgangotri.ac.in